झारखण्ड सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग।

अधिसूचना

रॉची, दिनांकः– 11/10/19

संचिका संख्या–04/आ0वि0–02–1022/2016 3601 / रॉची, श्री अजय कुमार सिंह, तात्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, पेयजल एवं स्वच्छता स्वर्णरेखा वितरण प्रमण्डल, राँची सम्प्रति कार्यपालक अभियन्ता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, मेदिनीनगर के विरूद्ध परिवाद पत्र के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2014–15 में करमटोली हाउसिंग नाली निर्माण के कार्य में संवेदक के साथ मिली भगत करने, स्वीकृत प्राक्कलन के अनुरूप कार्य न करने तथा सरकारी राशि के दुरूपयोग कर अवैध भुगतान करने संबंधी आरोप प्रतिवेदित किये गये। उक्त आरोपो के आलोक में विशेष सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा पत्रांक 730 दिनांक 23.09.2015 के माध्यम से जाँच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया जिसमें श्री सिंह के विरूद्व उक्त प्रतिवेदित आरोप प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाये गये।

2. तत्पश्चात् पूरे मामले के सम्यक समीक्षोपरान्त राज्य सरकार द्वारा श्री सिंह, के विरूद्ध प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाये गये आरोप के विरूद्ध अधिसूचना संख्या–1921 दिनांक–02.05.2018 के द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

3. विभागीय जाँच पदाधिकारी के पत्रांक–81 दिनांक–05.11.2018 द्वारा विभागीय कार्यवाही पूर्ण कर जाँच प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराया गया। जाँच संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में श्री सिंह के विरूद्ध करमटोली हाउसिंग नाली निर्माण कार्य में संवेदक के साथ मिलीभगत कर स्वीकृत प्राक्कलन के अनुरुप कार्य नहीं कराने का अरोप **पूर्णतया प्रमाणित नहीं** पाया गया।

4. उक्त वर्णित प्रमाणित पाये गये आरोप के विरूद्ध श्री सिंह से विभागीय पत्रांक–5060 दिनांक–19.12.2018 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की गयी जिसके आलोक में श्री सिंह द्वारा पत्रांक–381 दिनांक–14.03.2019 के माध्यम से अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया।

5. तत्पश्चात् जाँच पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं श्री सिंह द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा सहित सम्पूर्ण मामले की समीक्षा राज्य सरकार द्वारा की गयी जिसमें श्री सिंह के विरूद्ध प्रपत्र–क में गठित उक्त वर्णित पूर्णतया प्रमाणित नहीं पाये गये आरोप हेतु राज्य सरकार द्वारा श्री सिंह के विरूद्ध "**निंदन**" का दंड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया है। उक्त लिये गये निर्णय के आलोक में निम्न आदेश लिये जाते है–

(i) श्री अजय कुमार सिंह, तात्कालीन कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता स्वर्णरेखा वितरण प्रमण्डल, राँची सम्प्रति कार्यपालक अभियन्ता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, मेदिनीनगर को "**निंदन**" की सजा दी जाती है।

(ii) उक्त आदेश के साथ श्री सिंह के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही समाप्त की जाती है।

11/10/19

(कमलाकान्त गुप्ता)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक– 3602 राँची,दिनांक– 11/10/19

प्रतिलिपि–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

11/10/19

(कमलाकान्त गुप्ता)
सरकार के उप सचिव।

11/10/19

C:\Users\win8\Desktop\Section-04\Office work\Adhisuchna\punishment\Ajay kumar singh ee.docx

ज्ञापांक— 3602 राँची, दिनांक— 11/10/19

प्रतिलिपि— मा० मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/ मा० विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11/10/19

(कमलाकान्त गुप्ता)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक— 3602 राँची, दिनांक— 11/10/19

प्रतिलिपि— महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11/10/19

(कमलाकान्त गुप्ता)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक— 3602 राँची, दिनांक— 11/10/19

प्रतिलिपि— सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अभियन्ता प्रमुख कोषांग/सभी संयुक्त सचिव/ सभी मुख्य अभियन्ता/सभी उप सचिव/ सभी अधीक्षण अभियन्ता (यॉत्रिक सहित)/सभी अवर सचिव/सभी कार्यपालक अभियन्ता (यॉत्रिक सहित) / मुख्यालय के सभी पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा—01, एवं 04 पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाही हेतु प्रेषित।

11/10/19

(कमलाकान्त गुप्ता)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक— 3602 राँची, दिनांक— 11/10/19

प्रतिलिपि— श्री अजय कुमार सिंह, तात्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, पेयजल एवं स्वच्छता स्वर्णरेखा वितरण प्रमण्डल, राँची सम्प्रति कार्यपालक अभियन्ता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, मेदिनीनगर, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11/10/19

(कमलाकान्त गुप्ता)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक— 3602 राँची, दिनांक— 11/10/19

प्रतिलिपि—नोडल पदाधिकारी, ई—गजट, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11/10/19

(कमलाकान्त गुप्ता)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक— 3602 राँची, दिनांक— 11/10/19

प्रतिलिपि—श्री नितिन कुमार, राज्य समन्वयक (IT) (PMU) पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11/10/19

(कमलाकान्त गुप्ता)
सरकार के उप सचिव।